मध्याह्न भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

203 / 9 नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन नं0–0522- 2614721 ई मेल–lkomdm@gmail.com वेबसाइट–www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / ए-675 / 2026–27 दिनांक 09-06-2026

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–पी0एम0 पोषण / मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों एवं आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पत्रांक–शि0नि0(बे0) / नियोजन / 15137–237 / 2026–27 दिनांक 05.06.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न शासनादेश संख्या–68–5099 / 471 / 2025 दिनांक 05.02.2026 द्वारा पी0एम0 पोषण / मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों एवं आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पत्र दिनांक 05.06.2026 में उल्लिखित बिन्दुवार निर्देशानुसार पी0एम0 पोषण / मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों एवं आश्रित परिवार के सदस्यों की सूचना पोर्टल http://cmtcts.upsdc.gov.in पर पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण प्रक्रिया हेतु प्रविष्टि किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्रअतिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय,

(प्रेम रंजन सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।

(प्रेम रंजन सिंह)
निदेशक

ई-मेल से प्राप्त डाक/1391
दिनांक 08/06/26

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा. विद्या भवन. निशातगंज.

वेबसाइटः www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेलः upefaspo@gmail.com दूरभाषः 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

1– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– शि०नि०(बे०)/नियोजन/ 15137-237 /2026–27 दिनांक 05 जून, 2026

विषयः– मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–68–5099/471/2025–अनुभाग–5 दिनांक 05.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

उक्त योजना के संचालन हेतु प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत, शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उक्त कार्मिकों के आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना से लाभान्वित किये जाने के संबंध में कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के पोर्टल पर पंजीकरण हेतु एक विशेष पोर्टल–http://cmtcts.upsdc.gov.in विकसित किया गया है जिस पर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को स्वयं तथा अपने आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण अंकित करना होगा। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना –पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण प्रक्रिया

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वयं एवं अपने आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि उक्त विवरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के Beneficiary Portal के साथ एकीकृत (Integration) किया जा सके। पोर्टल पर प्रविष्टि करते समय विशेष ध्यान रखा जाये कि शिक्षक/कार्मिक एवं उनके आश्रितों का विवरण उनके आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार ही हो।

1. *पोर्टल http://cmtcts.upsdc.gov.in पर जाएं।*
2. *"शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड हेतु आवेदन करें" (Apply for Shikshak Cashless Chikitsa Card) टैब पर क्लिक करें।*
3. *कर्मचारी अपने सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरें।*
4. *"Save and Next" बटन पर क्लिक करें।*
5. *इसके पश्चात भरे गए विवरण का प्रीव्यू प्रदर्शित होगा। पृष्ठ के निचले भाग में "आश्रित सदस्य जोड़ें (Add Dependents)" का विकल्प उपलब्ध होगा।*
6. *आश्रित सदस्य जोड़ने हेतु–*
   - *ड्रॉपडाउन में "YES" का चयन करें।*
   - *"Next" पर क्लिक करें।*

DD-II
कृपया नियमानुसार आ०का० करें।

निदेशक, प्र०मो०प्रा०।

- आश्रित सदस्य का विवरण भरने हेतु नया प्रपत्र खुलेगा।
- आवश्यक विवरण भरकर "Add Dependent" बटन पर क्लिक करें।
- आश्रित सदस्य कर्मचारी के साथ जोड़ दिया जाएगा।
- एक से अधिक आश्रित सदस्य जोड़ने हेतु यही प्रक्रिया पुनः अपनाएं।

7. जोड़े गए सभी आश्रित सदस्यों का विवरण तालिका (Table) के रूप में प्रदर्शित होगा।
8. सभी विवरणों का सत्यापन करने के उपरांत "Submit" बटन पर क्लिक करें।
9. इसके बाद कर्मचारी एवं उसके सभी आश्रितों का पूर्ण विवरण अंतिम अवलोकन हेतु प्रदर्शित होगा।

<u>सत्यापन एवं अनुमोदन प्रक्रिया</u>

1. आवेदन सबमिट होने के पश्चात संबंधित कर्मचारी का आवेदन स्वतः संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा।
2. आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने तथा BEO को प्रेषित किए जाने की सूचना कर्मचारी को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर परSMS के माध्यम से प्राप्त होगी।
3. BEO द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात आवेदन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को अंतिम अनुमोदन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा।
4. कर्मचारी को निम्न चरणों परSMS प्राप्त होगा।
   - आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर।
   - आवेदन BEO द्वारा अग्रसारित किए जाने पर।
   - आवेदन BSA द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने पर।

<u>फैमिली आईडी प्राप्ति एवं कार्ड हेतु आवेदन</u>

1. BSA द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात कर्मचारी को SMS के माध्यम से Family ID भेजी जाएगी तथा कार्ड हेतु आवेदन करने के निर्देश प्राप्त होंगे।
2. इसके पश्चात कर्मचारी को NHA Beneficiary Portal -https://beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा।
3. पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें।
4. सफल लॉगिन के पश्चात:
   - Scheme Name में PMJAY का चयन करें।
   - संबंधित Sub-Scheme का चयन करें।
   - राज्य (State) का चयन करें।
   - जनपद (District) का चयन करें।
   - SMS द्वारा प्राप्त Family ID दर्ज करें।
   - कैप्चा (Captcha) भरें।
   - Submit बटन पर क्लिक करें।
5. इसके पश्चात BSA द्वारा अनुमोदित सभी परिवार सदस्यों के नाम प्रदर्शित होंगे।

<u>आधार e-KYC एवं कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया</u>

1. प्रत्येक सदस्य के नाम के सामने उपलब्ध "Do e-KYC" बटन पर क्लिक करें।
2. पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आधार आधारित e-KYC पूर्ण करें।
3. निर्देशानुसार लाइव फोटो (Live Photograph) कैप्चर करें।
4. आधार e-KYC सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर संबंधित सदस्य की स्थिति "Do e-KYC" से बदलकर "Download" हो जाएगी।
5. "Download" बटन पर क्लिक कर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड डाउनलोड करें।

उपरोक्त के संबंध में पोर्टल http://cmtcts.upsdc.gov.in के संचालित (Live) होने की सूचना से आप सभी को तत्काल अवगत करा दिया जायेगा। पोर्टल के संचालित (Live) होने के उपरान्त ही पंजीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी। पोर्टल के संचालित (Live) होते ही शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के पंजीकरण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। तत्काल पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया से समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों तथा योजना से अच्छादित होने वाले अन्य समस्त कार्मिकों को अवगत करा दिया जाये।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
5/6/26
(मोनिका रानी)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखऊ।

पृ0सं0—शि0नि0(बे0)/नियोजन/15137-237 /2026—27 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर मुख्य सचिव, (बेसिक शिक्षा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ के संज्ञानार्थ।
2— विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विस (साचीज), उ0प्र0 लखनऊ।
4— निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5— शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 प्रयागराज।

5/6/26
(मोनिका रानी)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखऊ।